निग/2904/II/15

65

289
30.7.15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवाम0प्र0

COURT FEE INDIA भारत TEN RUPEES दस रुपये
COURT FEE INDIA भारत TEN RUPEES दस रुपये

Rs-20/-

1 शैलेन्द्र कुमार सिंह तनय स्व0 श्री रणबहादुर सिंह उम्र 58 वर्ष
2- बृजेश कुमार सिंह तनय स्व0 श्री रणबहादुर सिंह उम्र 52 वर्ष,
3- शिवेन्द्र सिंह तनय श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह उम्र 36 वर्ष,
4- धीरेन्द्र कुमार सिंह तनय श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह उम्र 33 वर्ष,

----- सभी निवासी ग्राम समान रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

--------- निगरानी कर्ता गण ।

श्री अशोक सिंह द्वारा आज दिनांक 30.7.15 प्रस्तुत किया गया।

एड के

बनाम

1- राजेश कुमार सिंह तनय स्व0 श्री रणबहादुर सिंह उम्र 54 वर्ष
2- महेन्द्र कुमार सिंह तनय स्व0 श्री रण बहादुर सिंह उम्र 60 वर्ष,

सर्किट कोर्ट रीवा

------ दोनो निवासी ग्राम समान रीवा तहसील हुजूर जिला-रीवा म0प्र0

---------- अना0गण ।

अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्र0क्र0 602/अपील/2014-15 मे पारित आदेश दिनांक 20-07-15 के विरुद्ध निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 भू0राजस्व संहिता ।

- - - - - - - - - - - - - - -

मान्यवर,

निगरानी के आधार :-

निगरानी कर्ता का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है :-

1- अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-07-15 विधि प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। आवेदक गण की ओर से अपील की प्रचलनशीलता के संबंध मे जो आपत्तियां उठाई गयी थी, उनका कोई भी न्यायिक निराकरण नही किया गया है। आपत्ति निरस्त करने का कोई कारण व आधार भी नही बताया गयाहै, ऐसी स्थिति मे विवादित आदेश किसी भी दृष्टिकोण से स्थिर रखे जाने

क्र0 ---

शैलेन्द्र कुमार सिंह । राजेश कुमार सिंह

R. 2904-दो/15-रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.5.15	1- प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक अभिभाषक श्री अवधेश सिंह द्वारा प्रकरण में शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया गया। 3. आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 6021 अपील/14-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20.7.15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 4. प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्तियां उठायी गयी थी, उनका कोई न्यायिक निराकरण नहीं किया गया और न ही आपत्ति निरस्त करने का कोई आधार ही बताया गया। 5- आवेदक की अधी. न्याया. के समक्ष आपत्ति अपील प्रचलनशीलता पर थी तथा आवेदक का नाम खसरे में अंकित हो चुका है, परन्तु स्थगन दे दिया गया है। अधी. न्याया. ने प्रश्नाधीन आदेश द्वारा प्रचलनशीलता का आवेदन निरस्त किया जाकर मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है। अधी. न्याया. के प्रश्नाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। आवेदक को अधी. न्याया. के समक्ष सुनवाई का तथा साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त है जिससे वह अपनी बात रख सकता है। 6. आदेश की प्रति अधी. न्याया. को भेजी जावे। 7. आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अमान्य की जाती है। 8. प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	